

दी बाडमेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० बाडमेर
प्रधानकार्यालय, महावीरनगर बाडमेर

फोन: 02982-220461, 220345 (का०) फेक्स: 02982- 220461

क्रमांक:- ४५६६

दिनांक:- २२-०८-२०१२

परिपत्र

संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 28.06.2012 के अनुसार इस बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों से अल्पकालीन कृषि ऋणों पर व प्रत्यक्ष (कृषक मित्र) पर ली जाने वाली ब्याज दरों में वर्ष 2012-13 में वितरित ऋणों पर निम्नानुसार ब्याज एवं अवधिपर ब्याज दर पुनः निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	ऋण प्रकार	वर्तमान ब्याज दर		संशोधित ब्याज दर	
		सी.सी.बी. द्वारा पेक्स से	पैक्स द्वारा सदस्यों स/ सी.सी.बी. द्वारा अपने प्रत्यक्ष ऋणों पर (के.एम.वाई)	सी.सी.बी. द्वारा पेक्स से सामान्य	बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋणी (के.एम.वाई) एवं पैक्स द्वारा सदस्यों से
1	अल्पकालीन ऋण	5.25	7.00	5.00	देय तिथि से तीन माह तक सामान्य दर 7.00 प्रतिशत
				तीन माह पश्चात सामान्य दर से 2 प्रतिशत अधिक	तीन माह पश्चात सामान्य दर से 2 प्रतिशत अधिक
				7.00 प्रतिशत	9.00 प्रतिशत

अतः इस बैंक के सभी शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संशोधित ब्याज दरों के अनुसार ब्याज चार्ज करने के निर्देशों की पालना की जावे।

क्रमांक ४५६७ - ६९

प्रबन्ध निदेशक
दिनांक २२-०८-२०१२

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शाखा प्रबन्धक(समस्त) को भिजवाकर निर्देश दिये जाते है कि आपके द्वारा उक्त संशोधन के बारे में अपनी शाखा के समस्त स्टाफ को नोट कराया जाकर इसकी पालना कराई जावे।
2. सहायक अधिशाषी अधिकारी शाखा.....
3. ऋणपर्यवेक्षक शाखा.....(समस्त) को आपकी शाखा की पेक्स की संख्या के अनुसार उक्त परिपत्र कीप्रतिया भेजकर लेख है कि परिपत्र की एक प्रति प्रत्येक पेक्स व्यवस्थापक को उपलब्ध कराई जाकर प्राप्ति की रसीद ली जाकर उसकी प्रति प्रधान कार्यालय को भिजवाई जावे तथा नई ब्याज दरों के अनुसार ब्याज चार्ज करने के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

4.

प्रबन्ध निदेशक